

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पलामू झारखण्ड
अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-03/2019-20

1. विज्ञापन दाता का नाम
2. निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय
4. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान

पुलिस अधीक्षक, पलामू।

03.03.2019 - 09-07-2019 h

03.03.2019 - 10-07-2019 h

पुलिस केन्द्र पलामू।

निविदा सूचना

पलामू जिला में उग्रवाद उन्मूलन अभियान कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के निजी वाहनों की आवश्यकता होती है। जिन्हे प्रतिदिन भाड़ा भुगतान के आधार पर प्राप्त किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में भाड़ा पर निजी वाहन प्राप्त करने हेतु एवं विभिन्न प्रकार के वाहनो का भाड़ा निर्धारण करने के लिए निविदा आमंत्रित करना आवश्यक है। निम्नलिखित वाहनों के भाड़ा निर्धारित करने के लिए पंजीकृत ऑनर बुक के प्राधिकृत वाहन मालिकों से सिल बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्त www.palamu.nic.in पलामू के वेबसाईट एवं पुलिस केन्द्र, पलामू के कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।?

क्रमांक	वाहनों का प्रकार
01	इनोभा
02	स्कार्पियो
03	बोलेरो
04	कमाण्डर जीप
05	टाटा सूमो
06	टाटा सफारी
07	तवेरा
08	बस (49 सीट बैठान क्षमता या अधिक)
09	बस (33-49 सीट बैठान क्षमता या अधिक)
10	बस (16-33 सीट बैठान क्षमता या अधिक)
11	मिनी बस (14-22 सीट के लिए)
12	407 माल वाहक वाहन

1

21/7/2019

पुलिस अधीक्षक,
पलामू।

ज्ञापांक ...3027/र0का0


पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पलामू।

दिनांक ...02/07/19

निविदा की शर्त :-

1. निर्बंधित संस्था से अथवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ली गई व्यवसायिक रुप से निर्बंधित वाहनों को किराया पर ली जाएगी।
2. वाहन में खराबी/व्यवधान होने के स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता को अविलम्ब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक की अवधि में प्रति दो घंटा 50/- रु0 मात्र की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी।

3. सरकारी कार्य में उपयोग हेतु किराये पर लिये गये वाहनों को संबंधित सभी प्रकार के टैक्स तथा इन्सुरेन्स प्रीमियम का भुगतान वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ही देय होगा।
4. सरकारी कार्य में उपयोग के दौरान वाहन अथवा चालक को किसी दुर्घटना से होने वाली क्षति का दायित्व कार्यालय प्रधान की नहीं होगी।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता को एक अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि चालक को भुगतान अथवा अन्य सेवा शर्त में राज्य में लागू श्रम कानूनों का अनुपालन किया जा रहा है।
6. किराया पर ली गई वाहनों की संविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रधान को होगा।
7. वाहनों का निबंधन झारखण्ड राज्य में टैक्सी के रूप में होना अनिवार्य है।
8. पाँच वर्ष या उससे ज्यादा पुराने वाहनों की सेवा नहीं ली जायेगी। यदि विशेष परिस्थिति में पाँच से दस वर्ष पुराने वाहनों की सेवा ली जाती है तो उन वाहनों को उपर्युक्त दर से 10 प्रतिशत कम दर अनुमान होगा।
9. यह अनुबंध माह जुलाई-2019 से जून 2020 तक प्रभावी होगा।
10. वाहनों का भाड़ा दो वर्गों में निर्धारित किया जायेगा—(क) चालक सहित (ख) चालक रहित
11. निविदा के साथ वाहन मालिक का पेन कार्ड वाहन का निबंधन प्रमाण-पत्र, इन्सुरेन्स एवं अद्यतन रोड टैक्स जमा करने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. उपरोक्त शर्तों का पालन प्रत्येक निविदाकर्ता को करना अनिवार्य होगा तथा यदि उक्त शर्तों के अनुरूप निविदा प्राप्त नहीं होता है तो उनका निविदा अयोग्य माना जायेगा।


21/7/2019
पुलिस अधीक्षक,
पलामू।